

न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)

समक्ष-आनन्द प्रिय राहुल

सत्र प्रकरण क्रमांक 68/2016

संस्थित दिनांक 10.03.2016

म.प्र. राज्य द्वारा

आरक्षी केन्द्र चन्देरी,

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियोगी।**

बनाम्

1. जमुना प्रसाद पुत्र भगुनसिंह , जाति कोली, आयु 68 साल, निवासी- वसियापुरा, चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)
2. पवनकुमार पुत्र जमुना प्रसाद, जाति कोली, आयु 28 साल, निवासी- थाने के पीछे बुनकर कालोनी, चंदेरी, जिला अशोकनगर, म.प्र.
3. रवि कुमार पुत्र जमुना प्रसाद, जाति कोली, आयु 24साल, निवासी-वसियापुरा, चंदेरी, जिला- अशोकनगर (म.प्र.)

.....
अभियुक्तगण।

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 629/2014 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 12.02.2016 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण।

अभियोजन की ओर से :- श्री एम.एस.राजपूत, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण की ओर से :- श्री आलोक चौरसिया, अधिवक्ता।

::आदेश ::

(अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(आज दिनांक 31.08.2016 को पारित किया गया।)

1. पुलिस थाना चंदेरी से आधा किलोमीटर दक्षिण दिशा में पसियापुरा चंदेरी में दिनांक 05.10.2014 को सुबह के करीब साढ़े सात बजे

मोहनलाल के मकान के सामने अभियुक्तगण ने फरियादी सुनीता, लक्ष्मीबाई, मोहनलाल, कमलकिशोर, लता, अंजली, हेमलता, राजकुमारी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सुनीता के सिर व हाथ में तथा अन्य को लात, घूसों, लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की व उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त पवन ने धारदार अस्त्र तलवार से सुनीता के सिर में मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। जो धारा 323/34, 324/34 भा.द.वि. के अधीन अभियुक्तगण पर आरोप है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि, प्रकरण में आरोपीगण को राजीनामा के आलोक में भा.द.वि. की धारा 323/34 के आरोप से दोष मुक्त किया जा चुका है तथा धारा 324/34 भा.द.वि. के आरोप का निराकरण किया जा रहा है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया गृहणी होकर उसके दो मकान है, जिसमें एक मकान में उसके जेठ नन्दकिशोर, दूसरे मकान में उसके ससुर मोहनलाल व सास लक्ष्मीबाई रहते हैं व ऊपरी मंजिल में उसका चचिया ससुर जमुना प्रसाद व उसका लडका रवि रहते हैं व उनका बड़ा लडका पवन कालोनी में रहता है। दिनांक 5.10.2014 को वह अपने घर पर थी। सुबह साढ़े सात बजे उसकी सास चिल्लाती हुई आयी और बोली कि देखना दादा को जमुनाप्रसाद, पवन, रवि मार रहे हैं। वह व उसकी जेठानी राजकुमारी दौड़कर गए, दादा मोहनलाल आड़े डले थे। उन्होंने बीच बचाव किया तो, पवन ने उसके सिर में तलवार मारी, जिससे चोट होकर खून निकल कर बह रहा है। उसके ससुर मोहनलाल के हाथ में तलवार मारी, जो उनके बायें हाथ के डढ़ा में चोट होकर खून निकल रहा है। उसकी जेठानी राजकुमारी को जमुना व रवि ने लाठी मारी, सिर में चोट लगी है। हल्ला सुनकर उसकी लड़की अंजली, लता, भतीजी हेमलता, भतीजा कमल किशोर आए, जिनकी भी पवन, रवि, जमुना ने लाठी व लात-घूसों से मारपीट की। लड़ाई-झगड़े में उसकी जेठानी राजकुमारी का मंगलसूत्र टूटकर गिर गया, जो नहीं मिला। घटना विजयकुमार, लालमणि, पार्वतीबाई ने देखी है। फरियादिया सुनीता की उक्त रिपोर्ट पर से

थाना चंदेरी में अपराध क्रमांक 434/14 धारा 451, 294, 323, 324/34 भा.दं. वि. के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के रूप में पंजीबद्ध की गई।

4. विवेचना के दौरान विवेचक ने घटनास्थल पर जाकर नक्शा मौका बनाया, आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया, साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचक ने विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया, आदेश दिनांक 12.02.2016 अनुसार मामला उपार्पित हुआ था। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 18.3.2016 को पारित आदेशानुसार मामला प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुंगावली व उसके पश्चात दिनांक 24.04.2017 को इस न्यायालय में अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. रखे गये आरोपों को सभी आरोपीगण ने तत्समय अस्वीकार किया था व विचारण चाहा गया।

6. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:

(1) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त पवन ने धारदार अस्त्र तलवार से सुनीता के सिर में मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?

निष्कर्ष के आधार

7. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण के अभिकथन कराए गए हैं, उनके अभिकथन से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि नहीं हुई है। राजीनामा व अभियोजन साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोष मुक्त किया जावे।

8. अभियोजन की ओर से ए.जी.पी. श्री राजपूत ने निवेदन किया कि, धारा 324 सपटित धारा 34 भा.दं.वि. की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य से हुई आरोपीगण को विचारणीय प्रश्न के आरोप में दंडित किया

9. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान ए.जी.पी के तर्क श्रवण के पश्चात अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुनीता (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कंडिका 2 के अंत में अभिकथन दिया है कि उसे सिर में बीच बचाव करने के कारण चोट आयी थीं व यह भी अभिकथन दिया है कि अंधेरा

होने के कारण किससे वह चोट लगी थी, नहीं मालूम। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने कूट परीक्षण में कंडिका 3 के मध्य में अभिकथन दिया है कि, पवन ने उसे तलवार मार दी थी जो उसके सिर में लगी थी, फिर आगे कंडिका 6 में यह अभिकथन दिया है कि उसे आरोपीगण में से किसी ने तलवार नहीं मारी थी। न्यायालय के मत में यह साक्षी विभिन्न समय पर विभिन्न कथन बदल-बदल कर दे रही है। एक तरफ तो मुख्य परीक्षण में यह कहती है कि उसे बीच बचाव करने के कारण सिर में चोट आयी थी, दूसरी तरफ यह भी कहती है कि अंधेरा होने के कारण चोट किससे लगी थी उसे नहीं मालूम व आगे कंडिका 6 में यह भी कथन देती है, यह सही है कि उसे आरोपीगण ने किसी ने तलवार नहीं मारी थी। इससे स्पष्ट है कि इस साक्षी का कथन विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता।

10. इस साक्षी को अभियुक्त पवन ने तलवार मारकर चोट कारित की होती तो इसकी पुष्टि अन्य साक्षी लता कोरी (अ.सा.2), मोहनलाल (अ.सा.3), हेमलता कोली (अ.सा.4), अंजली कोली (अ.सा.5), राजकुमारी (अ.सा.6) कमलकिशोर (अ.सा.7) के अभिकथन से होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इन साक्षीगण ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इन साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है व सूचक प्रश्न पूछने पर इन साक्षियों ने अपने अभिकथन में सुनीता (अ.सा.1) के अभिकथन की पुष्टि बाबत कोई अभिकथन नहीं दिया है व इन साक्षीगण ने अपने अभिकथन में बताया है कि प्रदर्श पी-3, 4, 5, 6, 7, 8, का ए से ए भाग का कथन उन्होंने पुलिस को नहीं दिया था।

11. जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन के इन महत्वपूर्ण साक्षीगण के अभिकथन से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि नहीं हुई है।

12. अतः अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि न हुई, होने से व राजीनामा के आलोक में अभियुक्तगण को अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कहानी अनेकानेक संदेहों से परे प्रमाणित न हुई, होने से, अभियुक्तगण को धारा 324 सपठित धारा 34 भा.द.वि. के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

13. अतः द.प्र.सं. की धारा 232 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरोपीगण को भा.दं.वि. की धारा 324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक को खुले
न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया
गया।

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी म.प्र.

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी म.प्र.

प्रतिलिपि :— जिला दंडाधिकारी, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.